



2026: AHC: 39078

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 754/2026

देवराज सिंह एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: द्विजेन्द्र प्रसाद

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग ने वर्तमान याचिका दायर करने में 161 दिनों के विलंब की सूचना दी है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री सत्येंद्र भूषण दुबे तथा गाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत सिंह को सुना गया।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, प्रति-शपथ पत्र आमंत्रित किए बिना इस रिट याचिका पर अंतिम सुनवाई की गई है।
4. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर 06-06-2025 के आक्षेपित आदेश (इस रिट याचिका का संलग्नक संख्या 1) को रद्द किया जाए, जिसके द्वारा राजस्व परिषद उ.प्र., प्रयागराज ने पुनरीक्षण संख्या 5254/2024 (राजेंद्र व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य) में स्थगन आवेदन को खारिज करते हुए 04-06-2025 के पूर्ववर्ती अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया था।

(ii) परमादेश (mandamus) की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए ताकि 06-06-2025 के आदेश (इस रिट याचिका का संलग्नक संख्या 1) के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाई जा सके, जिसके द्वारा राजस्व परिषद उ.पी., प्रयागराज ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (U.P.Z.A. and L.R. Act) की धारा 333 के तहत निगरानी संख्या 5254/2024 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या AL20241802005254) (राजेंद्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में दिनांक 04-06-2025 के पूर्ववर्ती अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया है; और अपर आयुक्त के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि से बेदखल न करें, तथा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति बनाए रखी जाए, अन्यथा याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (U.P.Z.A. & L.R. Act) की धारा 198 (4) के तहत कार्यवाही से उत्पन्न याचिकाकर्ता द्वारा दायर निगरानी को स्वीकार किया और 04-06-2025 को अंतरिम आदेश पारित किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दो दिन बाद, राजस्व परिषद द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ताओं को बिना किसी नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए रद्द कर दिया गया।

6. राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निगरानी के लंबित रहने के दौरान राजस्व परिषद द्वारा पारित अंतरवर्ती आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय में

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिट याचिका दायर करने के बजाय राजस्व परिषद के समक्ष लंबित कार्यवाही में उपस्थित होना चाहिए।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
8. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के कृषि पट्टे को रद्द करने के आदेश के विरुद्ध दायर निगरानी राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि प्रारंभ में राजस्व परिषद द्वारा 04-06-2025 को अंतरिम आदेश दिया गया था। इस पर भी कोई विवाद नहीं है कि 06-06-2025 को राजस्व परिषद ने 04-06-2025 के अंतरिम आदेश को वापस ले लिया।
9. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं को 26.11.1992 को कृषि पट्टा प्रदान किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। निगरानी राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है जिसने प्रारंभ में अंतरिम आदेश दिया और निपटान के लिए तिथि निर्धारित की, लेकिन केवल दो दिन बाद बिना किसी नोटिस और सुनवाई के अवसर के अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया, जो राजस्व परिषद द्वारा क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं है।
10. राजस्व परिषद को गुण-दोष के आधार पर निगरानी का निर्णय करना चाहिए और निगरानी के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश को बनाए रखना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता को वर्ष 1992 में कृषि पट्टा दिया गया था।
11. इस न्यायालय ने अली शेर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007 (102) RD 498) के मामले में यह निर्धारित किया है कि यदि अपील/निगरानी के अधीन आदेश के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, तो अपील/निगरानी के लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

4. यह सुस्थापित है कि एक बार जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण स्वीकार कर ली जाती है, जिसके नागरिक परिणाम होते हैं, तो सामान्यतः "झूलते पेंडुलम" की स्थिति से बचने के लिए स्थगन प्रदान किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय दर्ज किए जाने वाले कारणों से यह न पाए कि स्थगन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देने का कोई मामला नहीं बनता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मूल चंद बनाम राजा बुलंद शुगर इंडस्ट्रीज** के मामले में देखा गया है।

5. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, दिनांक 16.11.2006 के आक्षेपित आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की अपील का निस्तारण कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः उसके समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर करे, और ऊपर दिए गए निर्देशानुसार अपील के निस्तारण तक, पक्षकार विवादित भूमि की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।

12. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अली शेर (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद द्वारा पारित 06-06-2025 के आक्षेपित आदेश को खारिज किया जाता है। यह निर्देशित किया जाता है कि राजस्व परिषद उ.प्र., प्रयागराज उक्त निगरानी का निर्णय इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से करेगी। यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा पारित 30.03.2019 के आदेश का प्रभाव और संचालन राजस्व परिषद के समक्ष निगरानी लंबित रहने तक स्थगित रहेगा।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 20 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।